

बिहार सरकार  
विधि विभाग

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019



2019

# बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019

## विषय सूची ।

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2019-20 वर्ष के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 12457,61,90,000 (बारह हजार चार सौ सतावन करोड़ इकसठ लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र की निकासी।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

## बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रील 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. 2019-20 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 12457,61,90,000 (बारह हजार चार सौ सतावन करोड़ इकसठ लाख नब्बे हजार) रूपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 12457,61,90,000 (बारह हजार चार सौ सतावन करोड़ इकसठ लाख नब्बे हजार) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग-। - इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

## उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2019 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 12457,61,90,000 (बारह हजार चार सौ सतावन करोड़ इकसठ लाख नब्बे हजार) रूपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है ।

**(सुशील कुमार मोदी)**

भार-साधक सदस्य ।

**अनुसूची**  
(धाराएं 2 ओर 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	2,69,00,89,000	0	2,69,00,89,000
		पूंजी	1,26,91,12,000	0	1,26,91,12,000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	84,81,95,000	0	84,81,95,000
		पूंजी	0	0	0
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	32,92,19,000	0	32,92,19,000
		पूंजी	3,02,72,47,000	0	3,02,72,47,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	4,54,58,000	0	4,54,58,000
		पूंजी	0	0	0
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	70,93,000	70,93,000
		पूंजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
07	निगरानी विभाग	राजस्व	19,00,000	0	19,00,000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	37,27,10,000	0	37,27,10,000
		पूंजी	1,000	0	1,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	12,00,000	0	12,00,000
		पूंजी	0	0	0
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	2,58,45,000	0	2,58,45,000
		पूंजी	0	0	0
12	वित्त विभाग	राजस्व	1,05,55,000	0	1,05,55,000
		पूंजी	0	0	0
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	3,26,12,84,000	3,26,12,84,000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	4,31,60,07,000	4,31,60,07,000
15	पेंशन	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0

**अनुसूची**  
(धाराएं 2 ओर 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारत	योग
1	2	3	4	5	6
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	3,50,90,00,000	0	3,50,90,00,000
		पूंजी	0	0	0
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	51,41,000	0	51,41,000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	89,00,000	0	89,00,000
		पूंजी	0	0	0
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	4,09,71,03,000	0	4,09,71,03,000
		पूंजी	1,98,66,000	0	1,98,66,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	9,70,31,30,000	0	9,70,31,30,000
		पूंजी	1,64,56,34,000	0	1,64,56,34,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	15,17,62,67,000	0	15,17,62,67,000
		पूंजी	92,42,04,000	0	92,42,04,000
22	गृह विभाग	राजस्व	4,68,34,60,000	0	4,68,34,60,000
		पूंजी	18,20,30,000	0	18,20,30,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	3,55,40,000	0	3,55,40,000
		पूंजी	0	0	0
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	15,00,00,000	0	15,00,00,000
		पूंजी	35,84,50,000	0	35,84,50,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	35,37,47,000	0	35,37,47,000
		पूंजी	0	0	0
27	विधि विभाग	राजस्व	3,25,00,000	0	3,25,00,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	33,25,00,000	0	33,25,00,000
		पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000

**अनुसूची**  
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारत	योग
1	2	3	4	5	6
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	9,50,000	0	9,50,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	10,85,00,000	0	10,85,00,000
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	25,42,65,000	45,00,000	25,87,65,000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	7,24,00,000	7,24,00,000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	5,38,43,000	0	5,38,43,000
		पूंजी	0	0	0
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	28,44,10,000	0	28,44,10,000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	19,17,97,01,000	0	19,17,97,01,000
		पूंजी	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	25,35,45,000	0	25,35,45,000
		पूंजी	0	0	0
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	4,50,00,00,000	0	4,50,00,00,000
		पूंजी	0	0	0
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	6,47,25,37,000	0	6,47,25,37,000
		पूंजी	0	0	0
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	53,20,52,000	0	53,20,52,000
		पूंजी	23,50,00,000	0	23,50,00,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	राजस्व	28,94,40,000	0	28,94,40,000
		पूंजी	0	0	0
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	49,00,000	0	49,00,000
		पूंजी	0	0	0

**अनुसूची**  
(धाराएं 2 ओर 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
47	परिवहन विभाग	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000
		पूंजी	0	0	0
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	8,71,66,53,000	0	8,71,66,53,000
		पूंजी	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	34,22,00,000	0	34,22,00,000
		पूंजी	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	62,00,000	0	62,00,000
		पूंजी	8,01,00,00,000	0	8,01,00,00,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	11,33,40,55,000	0	11,33,40,55,000
		पूंजी	29,76,52,000	0	29,76,52,000
योग राजस्व			<b>94,84,57,10,000</b>	<b>3,34,52,77,000</b>	<b>98,19,09,87,000</b>
योग पूंजी			<b>22,06,91,96,000</b>	<b>4,31,60,07,000</b>	<b>26,38,52,03,000</b>
महायोग			<b>1,16,91,49,06,000</b>	<b>7,66,12,84,000</b>	<b>1,24,57,61,90,000</b>